


21/1/2025

वकील वाडी में गृह वादी उपस्थित होकर विद्वां प्रार्थना-पत्र  
भेज कर किया, जिस पर प्रत्यक्ष लख की गई  
वकील वाडी ने वाद को विद्वां हेतु निर्वहन किया  
जिस पर पत्रा का अवलोकन किया गया।  
अवलोकन के पश्चात् वाडी का वाद विद्वां-प्रार्थना  
पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है।  
पत्रा फेरल श्रुता होकर दर्ज न. से कम हो,  
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
श. ल. क. प.  
I.C.B.G.  
जो

  
सहायक कलेक्टर।  
सांभर लोक (जयपुर)

व.  
उ.  
क.  
क.